# :: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुरहानपुर (म.प्र.) ::

ISO 9001:2008 (Certificate No. QMS/DRS16/M1417)

फोन :- 07325-241000
फैक्स :- 07325-242043

E-Mail: dmburhanpur@nic.in
Website: www.burhanpur.nic.in

क्रमांक-क/न्या.लि./2020 / 3228 बुरहानपुर, दिनांक 04/05/2020

**।। आदेश ।।**

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) से जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु लोक हित एवं लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक/ साप्रवि/कोविड/165/2020, भोपाल, दिनांक 20/04/2020 में दिये गये निर्देशानुसार भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संपूर्ण देश में कोरोना के प्रभाव को रोकने के उददेश्य से 17 मई, **2020** तक लॉकडाउन घोषित किया गया है । वर्तमान में बुरहानपुर शहर में कोविड-19 संक्रमण केस पॉजिटीव आ गये है । अत: उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

2/ आयुक्त, नगर पालिक निगम, बुरहानपुर यह सुनिश्चित करें कि बुरहानपुर शहर में लॉकडाउन घोषित दिनांक से अब तक हुई मृत्यु की जानकारी प्रस्तुत करें तथा अब होने वाली मृत्यु का रिकार्ड समस्त मुक्तिधाम/कब्रस्तान में संधारित किया जाय । साथ ही मुक्तिधाम, कब्रस्तानों में आने वाली समस्त शवों के अंतिम क्रिया के समय की वीडियोंग्राफी की जाय ।

3/ अंतिम शव यात्रा में 05 व्यक्तियों से अधिक की अनुमति नहीं होगी । अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बुरहानपुर/नेपानगर अनुमति जारी के दौरान आदेश का पालन सुनिश्चित करें ।

4/ कोविड संदिग्ध की मृत्यु शासकीय चिकित्सालय एवं अन्य चिकित्सा परिसर(शासकीय/प्रायवेट) में होती है उनके शवों को सीधे निकटतम मुक्तिधाम/कब्रस्तान में ही ले जाय जावें ।

5/ यथासंभव मृतक का शव, नगर निगम के शववाहन/अन्य शववाहन से ही ले जाना सुनिश्चित की जाय ।

**यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।**

**( प्रवीण सिंह )**
**कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट**
**बुरहानपुर (म.प्र.)**

पृ0क्रमांक-क/न्या.लि./ 2020 / 3228 बुरहानपुर, दिनांक 04/05/2020

प्रतिलिपि :-

1. पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर
2. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बुरहानपुर/नेपानगर
3. नगर पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर/अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस नेपानगर
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, बुरहानपुर
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बुरहानपुर/ सिविल सर्जन, बुरहानपुर
6. समस्त प्रायेवट अस्पताल, ..............बुरहानपुर **की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु** ।
4. सहायक संचालक, जनसंपर्क, बुरहानपुर की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।

**कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट**
**बुरहानपुर (म.प्र.)**